राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 06/2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/15
दायर दिनांक– 07.01.2021
निर्णय दिनांक– 29.03.2023

1. अशोक पुत्र घीसालाल जाति रेगर निवासी ग्राम सुरसुरा
2. इन्दरा पुत्री घीसालाल जाति रेगर निवासी सुरसुरा हाल नि0 कुचील तह0 किशनगढ
3. जितेन्द्र पुत्र घीसालाल जाति रेगर निवासी ग्राम सुरसुरा
4. बजरंग पुत्र घीसालाल जाति रेगर निवासी ग्राम सुरसुरा
5. सुरज्ञान पुत्री घीसालाल जाति रेगर निवासी ग्राम सुरसुरा

बनाम

1. सेदू पुत्र स्व0 श्री जगरूप
2. राम पुत्र स्व0 श्री जगरूप
3. लक्ष्मण पुत्र स्व0 श्री जगरूप
सर्वजाति कुम्हार सर्वनिवासीगण ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री अरविन्द कुमार दाधीच, अधि0 प्रार्थीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 188 रा0का0अधि0 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे, काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा, भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 269 में ख0न0 550 रकबा 0.3397 है0 भूमि अवस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा बराबर है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे, काश्त व संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी की उक्त भूमि किसी प्रकार से काई हक–हिस्सा व दखल नहीं है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि पर वादीगण मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थीगण की काश्तकारी की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ब्लात कब्जा, अतिक्रमण कर हैरान व परेशान कर रहे है और बार–बार विवाद उत्पन्न कर कब्जा काश्त में बाधा कारित कर रहे है, जिसके कारण प्रार्थीगण को परेशानी उत्पन्न हो रही है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में बुवाई, सिंचाई, निराई, गुडाई जोत करने तथा नींव–सींव, मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा रूकावट पैदा नहीं हो। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण 01.01.2021 को उत्पन्न हुआ जो दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। कि हम प्रार्थीगण के संयुक्त काश्त खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 तक के द्वारा हमारी खातेदारी की कृषि भूमि में कब्जे, काश्त, निराई, गुडाई जोत में बाधा उत्पन्न कर ब्लात अतिचार करने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। प्रार्थीगण का जीविका उपार्जन का एकमात्र माध्यम ही कृषि कार्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी। तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी संख्या 4) की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम सुरसुरा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 268 में ख0न0 550, रकबा 0.3397 है0 भूमि अशोक पुत्र घीसालाल हि0 1/5 जाति रेगर, सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़, इन्दरा पुत्री घीसालाल हि0 1/5 जाति रेगर, सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़, जितेन्द्र पुत्र घीसालाल हि0 1/5 जाति रेगर, सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़, बजरंग पुत्र घीसालाल हि0 1/5 जाति रेगर, सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़, सुरज्ञान पुत्री घीसालाल हि0 1/5 जाति रेगर, सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़, के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण निराई–गुड़ाई आदि कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते है। अतः प्रार्थीगण को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र को अपनी बहस मानने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा खाता संख्या 269 में ख0न0 550 रकबा 0.3397 है0 भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

29.03.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)
सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:15:58 IST
Reason: SelfAttested